



2026:AHC:67814

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

धारा 528 के तहत आवेदन बी.एन.एस.एस. सं - 6473 वर्ष 2026

मुनौवर और एक अन्य आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: शैलेंद्र कुमार राय

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 77

माननीय न्यायमूर्ति श्री सौरभ श्रीवास्तव

1. आवेदकों के लिए अधिवक्ता और राज्य के लिए अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।
2. प्रस्तुत आवेदन को दिनांक 20.11.2017 के आरोप पत्र और 19.02.2018 के संज्ञान/समन आदेश के साथ-साथ अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या-2, गाजीपुर की अदालत में लंबित अपराध संख्या-505 वर्ष 2017 से उत्पन्न आपराधिक मामला संख्या-36 वर्ष 2018 (राज्य बनाम आलमगीर अहमद और अन्य) की पूरी कार्यवाही को रद्द करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।
3. आवेदकों की ओर से पेश अधिवक्ता ने आक्षेपित आरोपपत्र को संज्ञान/समन आदेश और प्रस्तुत मामले की पूरी कार्यवाही के साथ इस आधार पर चुनौती दी है कि दिल्ली रेस क्लब (1940) लिमिटेड और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 2024 10 एस.सी.सी. 690 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तय किए गए कानून के प्रस्ताव के अनुसार धारा 420 भन्धवि० और 406 एक साथ एक साथ नहीं चल सकती है। उक्त निर्णय का प्रासंगिक भाग यहां पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है: -



"38. हमारे विचार में, शिकायत का सादा पठन ऊपर उल्लिखित किसी भी उपरोक्त सामग्री को स्पष्ट करने में विफल रहता है। हम केवल पुलिस के साथ-साथ अवर न्यायालयों के मन में कानून की एक गंभीर गलत धारणा को दूर करने की दृष्टि से यह कह सकते हैं कि यदि यह शिकायतकर्ता का मामला है कि धारा 405 भ०द०वि० के तहत परिभाषित आपराधिक विश्वासघात का अपराध, धारा 406 भ०द०वि० के तहत दंडनीय, आरोपी द्वारा किया जाता है, तो साथ ही यह नहीं कहा जा सकता है कि आरोपी ने धारा 415 भ०द०वि० में परिभाषित और समझाया गया धोखा देने का अपराध भी किया है, जो धारा 420 भ०द०वि० के तहत दंडनीय है।

41. अनुबंध के केवल उल्लंघन और आपराधिक विश्वासघात और धोखाधड़ी के अपराध के बीच का अंतर एक जुर्माना है। धोखाधड़ी के मामले में, प्रलोभन के समय अभियुक्त के इरादे पर गौर किया जाना चाहिए, जिसे बाद के आचरण द्वारा आंका जा सकता है, लेकिन इसके लिए, बाद का आचरण एकमात्र परीक्षण नहीं है। अनुबंध का केवल उल्लंघन धोखाधड़ी के लिए आपराधिक अभियोजन को जन्म नहीं दे सकता है जब तक कि लेनदेन की शुरुआत से ही धोखाधड़ी या बेईमान इरादा नहीं दिखाया जाता है यानी वह समय जब अपराध किया गया कहा जाता है। इसलिए, यह इरादा है, जो अपराध का सार है।

43. आपराधिक विश्वासघात और धोखाधड़ी के बीच अंतर है। धोखाधड़ी के लिए, झूठे या भ्रामक प्रतिनिधित्व करने के समय यानी शुरुआत से ही आपराधिक इरादा आवश्यक है। आपराधिक विश्वास के उल्लंघन में, सौंपने का केवल प्रमाण पर्याप्त है। इस प्रकार, आपराधिक विश्वासघात के मामले में, अपराधी को कानूनी रूप से संपत्ति सौंपी जाती है, और उसने बेईमानी से उसका दुरुपयोग किया है। जबकि, धोखाधड़ी के मामले में, अपराधी किसी व्यक्ति को किसी भी संपत्ति को वितरित करने के लिए धोखा देकर धोखाधड़ी या बेईमानी से प्रेरित करता है। ऐसी स्थिति में, दोनों अपराध एक साथ नहीं रह सकते हैं।

55. अब समय आ गया है कि देश भर के पुलिस अधिकारियों को कानून में उचित प्रशिक्षण दिया जाए ताकि धोखाधड़ी के अपराध और आपराधिक



विश्वासघात के बीच के अंतर को समझा जा सके। दोनों अपराध स्वतंत्र और अलग हैं। दोनों अपराध एक ही तरह के तथ्यों में एक साथ नहीं रह सकते। वे एक दूसरे के विरोधी हैं। भारतीय दंड संहिता (अब भारतीय न्याय संहिता, 2023) के ये दोनों प्रावधान ऐसे जुड़वां नहीं हैं कि वे एक-दूसरे के बिना अस्तित्व में नहीं रह सकते।

4. दूसरी ओर, अपर शासकीय अधिवक्ता ने प्रस्तुत आवेदन के माध्यम से मांगी गई प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया है, लेकिन आवेदकों के लिए उपस्थित अधिवक्ता द्वारा भरोसा किए गए कानून के स्थापित प्रस्ताव पर विवाद करने में असमर्थ है।
5. चूंकि कानूनी मुद्दा आवेदकों के अधिवक्ता द्वारा उठाया गया है और इस तरह के रूप में प्रतिपक्षी संख्या-2 को नोटिस जारी करने की प्रक्रिया एतद्वारा समाप्त कर दी जाती है।
6. पक्षों के अधिवक्ता को सुनने के बाद, मामले के अभिलेखों और दिल्ली रेस क्लब (उपरोक्त) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को देखने के बाद, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि दोनों धाराएं यानी धारा 420 और 406 भन्धवि० एक ही सांस में नहीं जा सकती हैं और इस तरह, 19.02.2018 के संज्ञान/समन आदेश को रद्द किया जा सकता है। यद्यपि दिल्ली रेस क्लब (उपरोक्त) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय 23.08.2024 को पारित किया गया है और प्रस्तुत मामले में अपराध का संज्ञान दिनांक 19.02.2018 को लिया गया है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार **कनिष्क सिन्हा और एक अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य [2025 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 443]** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय हमेशा पूर्वव्यापी प्रकृति का होगा जब तक कि निर्णय स्वयं विशेष रूप से यह न कहता हो कि निर्णय संभावित रूप से काम करेगा।
7. इसके मद्देनजर, अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या-2, गाजीपुर की अदालत में लंबित आपराधिक मामला संख्या-36 वर्ष 2018 (राज्य बनाम आलमगीर अहमद और अन्य) में पारित दिनांक 19.02.2018 (राज्य बनाम आलमगीर अहमद और अन्य) को धारा 406, 420 भन्धवि०, थाना- दुल्लाहपुर, जिला-गाजीपुर के तहत पारित संज्ञान/समन आदेश **रद्द/अपास्त** किया जाता है। दिल्ली रेस क्लब (उपरोक्त) के मामले

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तय किए गए कानून के प्रस्ताव के आलोक में, यदि आवश्यक हो, तो अपराध का संज्ञान लेने का नया आदेश पारित करने के लिए मामले को संबंधित अदालत को वापस भेज दिया जाता है।

8. तदनुसार, प्रस्तुत आवेदन को आंशिक रूप से अनुमति दी जाती है।

मार्च 30, 2026

सैफ

(न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव)

Translated Version. Not for Legal Use.